

पत्र
धन
में जारी

निर्णय दिनांक 31-1-18


प्रकरण सं. R.M. 6/2016

धानराम बनाम गीगा शं घना के कीयम मुकाफ
नवराम वगैरह व अन्य
न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालौर

— ०२ —

31-1-18


प्राथी के वकील उपस्थित / अप्राथी सं. 1/1 से 1/3
2/1 से 2/3 के वकील उपस्थित / अप्राथी सं. 3/1
के वकील की ओर से श्री आसिफ अली वकील
उपस्थित / अप्राथी सं. 5 की ओर से सरकारी वकील
उपस्थित / प्राथी वकील के प्राथीना पत्र दिनांक
27-11-17 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि

No objection


S. D.

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
जालौर (राज.)

P.T.O.



तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अडकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

प्रार्थी ने अप्रार्थीगण सं. 1/1 से 1/3, 2/1 से 2/3,
 3, 4 से राजीनामा करने के कारण प्रकरण
 को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। अतः प्रकरण
 जरिये विद्रोवल स्वॉरिज करावे। प्रार्थी की
 पहचान उनके वकील श्री परमानन्द शर्मा,
 वकील द्वारा दी गई है। उक्त प्रार्थनापत्र पर
 अप्रार्थीगण सं. 1/1 से 1/3 व 2/1 से 2/3 के
 वकील श्री सुरेन्द्र कुमार दवे वकील ने तथा
 अप्रार्थी सं. 3, 4 के वकील श्री सिकन्दर अली
 ने No Objection व्यक्त किया है। अप्रार्थी
 सं. 5 की ओर से सरकारी वकील ने भी
 इस बाबत कोई आपत्त नहीं होता स्वीकार
 किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र जरिये
 विद्रोवल के स्वॉरिज किया जाता है। प्रतावली
 फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।
 आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

Sd/-
 (नरेश बुनकर)
 आचार्य विद्यापीठ
 जालार (राज.)